



Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

आदेश

यह कि श्री सत्यवान, निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति कार्यालय जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक, रोहतक की जन्मतिथि 26.05.1967 है, जिस अनुसार कर्मचारी दिनांक 31.05.2025 को 58 वर्ष की आयु पूर्ण करता है। कर्मचारी ने उसकी विकलांगता के दृष्टिगत 58 वर्ष की बजाय 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने उपरान्त सेवानिवृत्त करने के सम्बन्ध में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में CWP-12713/2025 titled Satyawan V/s State of Haryana and others दायर की थी, जिसमें माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.2025 को निम्न आदेश पारित किये गये थे:-

“Learned counsel for the petitioner relies upon the order dated 27.02.2023 passed by the Co-ordinate Bench in CWP No. 2340 of 2023 titled as ‘Jora Singh Vs State of Haryana and others’ which was passed in terms of the judgement in ‘Hardev kaur Vs State of Haryana and Others’, 2015(3) S.C.T 825.

Notice of motion returnable for 22.05.2025.

In the meanwhile, the respondents are directed to permit the petitioner to continue perform his duties till he attains the age of 60 years”

यह कि कर्मचारी द्वारा दायर उक्त सी0डब्ल्यू0पी0 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों की पालना में कर्मचारी को दिनांक 31.05.2025 से सेवानिवृत्त न करते हुये लगातार सेवा में रखा गया था।

यह कि कर्मचारी द्वारा दायर की गई CWP-12713/2025 titled Satyawan V/s State of Haryana and others को समानान्तर CWP No. 2340-Titled as Jora Singh Vs State of Haryana के साथ क्लब किया गया था जिसके अंतिम निर्णय दिनांक 06.11.2025 का आप्रेटिव पार्ट निम्न प्रकार से है:-

“In such circumstances, while deciding these matter(s), we deem it appropriate to clarify that it shall be open for the State of Haryana to take a conscious decision, whether or not to allow the extended age of superannuation for persons suffering with disability, in light of the provisions contained in the Act of 1995 as also the Act of 2016.”

यह कि माननीय न्यायालय के उपरोक्त आदेशों की पालना में वित्त विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक 11/58/2023-1एफ0आर0/2714 दिनांक 03.02.2026 के माध्यम से हरियाणा सिविल सर्विसिस (जनरल) रूल-2016 के नियम-143 के उपनियम-(1), clause (i), clause (ii), Note 1 and Note 3 का लोप कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप मुख्यालय के पत्र क्रमांक 1E(1)-IFS-2026/2752-53 दिनांक 17.02.2026 द्वारा कर्मचारी को सेवा से तुरंत प्रभाव से सेवानिवृत्त कर दिया गया था।

यह कि श्री शमशेर सिंह, निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति ने विभाग के आदेश दिनांक 17.02.2026 के विरुद्ध CWP 5980 of 2026 Titled as Shamsher Singh & Another Vs State of Haryana दायर किया था जिसमें श्री सत्यवान, निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति भी प्रतिवादी है। उक्त सी0डब्ल्यू0पी0 में दिनांक 26.02.2026 को आदेश पारित किये गये हैं जिसका आप्रेटिव पार्ट निम्न प्रकार से है:-

“Adjourned to 23.07.2026.

To be heard alongwith CWP-4225-2026.

Interim order in the same terms as was passed n CWP-4225-2026.”

यह कि CWP-4225-2026 titled as Jagroop Singh Vs Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation(HSFDC) में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.02.2026 का आप्रेटिव पार्ट निम्न प्रकार से है:-

“In the meantime, operation of the impugned order dated 04.02.2026 (Annexure P-9) shall remain stayed.”

CWP 4225-2026 में Impugned Order दिनांक 04.02.2026 का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

“In compliance of Hon’ble Punjab and Haryana High Court order dated 25.04.2025 passed in CWP 11362 of 2025 titled as Jagroop Singh Vs State of Haryana



Government of Haryana/हरियाणा सरकार  
Directorate of Food, Civil Supplies & Consumer Affairs  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले निदेशालय

and Others, vide office order no. Endst. No. Estt.(PF-504)/2025/5457-62, dated 16.05.2025, Sh. Jagroop Singh was posted at HSFDC, Panchkula, against a vacant post of District Manager. His posting was subject to the outcome of the final decision of the Hon'ble Court in that writ or any CM, application, to be filed by HSFDC in this regard. The Hon'ble High Court vide judgment dated 06.11.2025 pronounced in CWP 2340-2023 (O&M) disposed of all the writ petitions and left it open for the State of Haryana to take a decision in this regard.

The Finance Department, Govt. Of Haryana, vide instruction No. 1/58/2023-1FR/2714 dated 03.02.2026 has intimated that the provision contained in Rule-143 Sub-Rule (1) clause (i), clause (ii), Note 1 and Note 3 of HCS (General) Rules -2026 have been omitted.

Therefore, the order dated 16.05.2025 is hereby withdrawn and Sh. Jagroop Singh, District Manager, HSFDC, Panchkula, is relieved from his duties in the Corporation immediately."

इस प्रकार CWP 5980 of 2026 Titled as Shamsher Singh & Another Vs State of Haryana में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पारित आदेशों की पालना में श्री सत्यवान, निरीक्षक को पुनः सेवा में लेते हुये मुख्यालय द्वारा जारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति आदेश दिनांक 17.02.2026, जोकि पत्र क्रमांक 1E(1)-IFS-2026/2752-53 दिनांक 17.02.2026 द्वारा जारी किये गये हैं, को withdraw किया जाता है।

तदनुसार मैं ऐसे आदेश पारित करता हूँ।

दिनांक, चण्डीगढ़  
17.03.2026

अंशज सिंह, आई०ए०एस०  
महानिदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता  
मामले विभाग, हरियाणा।

पृ० क्रमांक 1ई(1)-2026 / IFS/Retirement/ 4855

दिनांक, चण्डीगढ़ 20.03.2026

- उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-
- 1 महाधिवक्ता, हरियाणा, चण्डीगढ़ को CWP No. 5980 of 2026 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2026 को पारित आदेशों के संदर्भ में।
  - 2 प्रधान महालेखाकार, हरियाणा(A&E), चण्डीगढ़, सैक्टर-33, चण्डीगढ़।
  - 3 खजाना अधिकारी, रोहतक।
  - 4 जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, रोहतक।
  - 5 सभी जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, हरियाणा राज्य में।
  - 6 उप-अधीक्षक(पेंशन शाखा), मुख्यालय।
  - 7 सभी शाखा अधिकारी, मुख्यालय।
  - 8 उप-अधीक्षक, स्थापना शाखा-111, मुख्यालय।
  - 9 निजी सचिव/महानिदेशक खाद्य एवं पूर्ति।
  - 10 2ई(1) को उप-अधीक्षक, स्थापना शाखा-1 के माध्यम से।
  - 11 एस०ई०ओ०, मुख्यालय को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिये।
  - 12 श्री स्वप्न, निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति, मार्फत जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक, रोहतक।

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

कृते: महानिदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता  
मामले विभाग, हरियाणा।